

3) अधिवक्ता
श्री एच. एल. पटेल
जिला-शोशाबाद द्वारा
उत्तरदाता
16/10/18
A.S.

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कैम्प भोपाल

नगरानी-6187/2018/होशंगाबाद भू-पुनरीक्षण क्रमांक/2018

1. गुलाब आश्री कालीकिशोर आयु वयस्क,
 2. हरी सिंह आश्री कालीकिशोर, आयु वयस्क,
 3. राम सिंह आश्री कालीकिशोर, आयु वयस्क,
 4. श्रीमती पार्वती बाई पति स्व. श्री बारेलाल आयु वयस्क,
 5. रामचरण आ. श्री हजारी, आयु वयस्क,
- सभी निवासी- ग्राम छीतापुरा, तहसील इटारसी,,
जिला होशंगाबाद म.प्र.

----- पुनरीक्षणकर्ता
विरुद्ध

- 1 श्रीमती रीना पति सुनील तिवासी आयु वयस्क,
निवासी- ग्राम छीतापुरा, तहसील इटारसी,,
जिला होशंगाबाद म.प्र.
- 2 जिला कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा
म.प्र. शासन

----- उत्तरदाता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता, श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग
होशंगाबाद के प्रकरण क्रं 45/अपील/वर्ष 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 30.
08.2018 से व्यथित होकर निम्नानुसार पुनरीक्षण करते है ।





16/10/18
A.S.

(Handwritten signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (गुलाब विरुद्ध रीना)

प्रकरण क्रमांक R-6187/2018 (गुलाब विरुद्ध रीना) 2018

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|----------------|--|--|
| 25-10-18 | <p>आवेदक अधिवक्ता श्री एस0एल0पटेल उपस्थित। उनके द्वारा उपस्थित होकर म0प्र0भू-राजस्व संहिता में हुये संशोधन दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहे जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया । विचारोपरांत आवेदक के निवेदनपर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है ।</p> <p> रीना</p> <p> अध्यक्ष</p> | |

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY